A Report on

1.1.2_Block Level Consultation Meeting with service providers and stakeholders

A two days consultation meeting was organised at Panchayat Samiti meeting Hall, Suhagpura on 20th & 21st of April, 22. The meeting was organised with the service providers and stakeholders of block level.

The meeting was chaired by Mr Bharat Pargi, Pradhan Suhagpura and Mr Ram Narayan Kumawat BDO, Suhagpura. Total 40 participants attended the meeting including CDPO, representative of BCMHO, representative of BEO and sarpanch and village development officer from all gram panchayats of Suhagpura block.

Objectives-

- Discussion on the child related issues
- Re-formation of block level child protection committee & orientation on role & responsibilities of BLCPC in child protection
- Orientation on Child Protection, Act regarding children i.e., Child Labour prohibition Act, Right to Education Act etc.

Proceeding –

First day, the meeting was started by KJA with the introduction of the BMZ Child labour project and its objectives. He made a discussion the issues being faced by children i.e issue related protection, survival, development, health, nutrition and education.

The next discussion was facilitated by MKS on the legal aspect and act related children i.e Child labour (Prohibition and Regulation) Act 1986, Child marriage prohibition Act 2006, Free & Compulsory Education Act 2009, Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012, JJ Act 2015 etc. He also explained the institution/ committee dedicated to the children protection at village, grampanchayat, block, district and state and national level.

Minal Jain, Resource Person from Gayatri Sewa Sansthan facilitated a session on Block Level Child Protection Committee, composition, Role of Committee, Responsibilities of office-bearer and members. And also facilitated to re-formation of block level committee and sworn all the members in the protection of Children and to take responsibility in child protection committee.

Second day, the meeting was started with the detailed presentation and discussion on Child Protection and Child rights. He added that the subject regarding child rights is a universal issue, so United Nation Commission for the Rights of Child Protection (UNCRCP) has given some rights to the children regarding their protection, survival, development and participation.

The next session was facilitated by KJA on The Right to Education (Fee & Compulsory) Act, 2009 and its important provisions. He made a discussion on an important structure mentioned in the Act, School Management Committee (SMC), composition, its function and responsibilities etc.

The meeting was over following delivering thank to the participants.

PHOTO GALLERY

MEDIA COVERAGE

सेवाप्रदाता एंव हितधारको के साथ दो दिवसीय परामर्श बैठक आयोजित

@ जय कॉठल न्यूज

प्रतापगढ़ 21 अप्रेल। कट्स मानव विकास केंद्र द्वारा सेवाप्रदाता एंव हितधारको के साथ दो दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन पंचायत समिति सुहागपुरा में किया गया दूइस बैठक में ग्राम पंचायत स्तरीय एंव पंचायत समिति स्तरीय हितधारक एंव सेवा प्रदाता ने हिस्सा लिया दू कट्स के कार्य म समन्वयक कमलेश जांगिड ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य बच्चो से संबंधित मुद्दो पर चर्चा एंव बच्चो से जुड़े समितियां एंव बाल अधिकारों पर समझ बनाना है। इस बैठक के दौरान ब्लॉक स्तरीय बाल सरंक्षण समिति के गठन को प्राथमिकता देते हुए प्रधान भरत पारगी के द्वारा पंचायत समिति स्तरीय बाल सरंक्षण समिति का भी पुनर्गठन किया गया दूइसमें सभी सदस्यों एंव पदाधिकारियोंद्वारा बच्चो के सरंक्षण हेतु शपथ ली गयी दू कट्स के प्रतिनिधि मुकेश सिंघल ने समिति के संरचनात्मक ढांचे को समझाते हुए सभी सदस्यों एंव पदाधिकारियों के कर्तव्य एंव दायित्व को बताते हुए समिति के कार्यों पर विस्तृत चर्चा की दू समिति के आमुखीकरण को लेकर संस्था के प्रतिनिधि मुकेश सिंघल ने बच्चो के सरंक्षण के महत्व को भी समझाया एंव बच्चो से जुड़े शिक्षा के अधिकार, लैंगिक अपराधो से बालको का सरंक्षण अधिनियम और बाल श्रम निषेध कानून पर विस्तृत चर्चा हुई दू समिति के अध्यक्ष भरत पारगी ने समिति के कार्यभार को समझाते हुए सभी सदस्यों सेअनुरोध किया कि बच्चो के मुद्दो पर खुल कर चर्चा हमें अपने घर से ही शुरू करनी होगी इसके साथ ही अपने आसपास में जो भी बच्चे जोखिमता वाले बच्चो को चयन करे एंव संबंधित पचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में उस मुद्दे को लाये एंव चर्चा कर उसके समाधान हेतु ब्लॉक स्तर पर भी उन्हें साझा करे, ताकि हम सब मिलकर बच्चो से जुडी समस्त समस्याओं को जड़ से मिटा सके।

जांगिड ने बताया कि हमें समुदाय स्तर पर बच्चो को समझते हुए उनके अधिकारों को लागु करने में समुदाय स्तर जो समितियां बनी है जिसमे पंचायत स्तरीय बाल सरंक्षण समितियों को सुचारू रूप से सक्रिय करना होगा जिस हेतु हमसब को मिलकर हमारे गाँव एंव पंचायत को बाल श्रम मुक्त बनाया जा सके दू बैठक में भागीदारी निभाते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती कोशल्या सोलंकी ने बताया की बच्चो के सुरक्षा सर्वप्रथम घर से ही शुरू होती है, जिस हेतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है उसी भूमिका में हमे सदैव तत्पर रहना होगा एंव सबको मिलकर बच्चो के सर्वांगीण विकास के लिए एक साथ कार्य करना होगा। सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में गायत्री सेवा संस्थान के प्रतिनिधि मिनल जैन ने प्रतिभागियों को बाल श्रम निषेध और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम पर विस्तृत रूप से बताया और ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के पुनर्गठन में भी भूमिका निभाई हुपंचायत समिति स्तरीय बाल सरंक्षण समिति के पदेन सचिव खंड विकास अधिकारी रामनारायण कुमावत ने भी समिति के सदस्य से आह्वान किया कि वो प्रत्येक माह में होने वाली बाल सरंक्षण समिति की बैठको में भाग लेवे एंव बच्चो से जुड़े हुए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए समस्त सरपंच अपनी पंचायत स्तरीय बाल सरंक्षण समिति को क्रियाशील बनाये और हर माह बैठक करते हुए बच्चो से जुड़े मुद्दो के समाधान हेतु प्रयास करते रहे, बच्चो के मुद्दों को ब्लॉक समिति के साथ भी साझा करे दूबैठक में बी.सी.एच.एम.ओ. प्रतिनिधि, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि, सहायक विकास अधिकारी रमेश खटिक एवं कानसिंह, समस्त सरपंच एंव ग्राम विकास अधिकारी आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किये।

ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति का भी पुनर्गठन

पत्रिका संवाद

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सुहागपुरा पंचायत समिति में बाल सरंक्षण समिति की बैठक ।

सुहागपुरा. कट्स मानव विकास केंद्र की ओर से सेवाप्रदाता एवं हितधारकों के साथ दो दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन पंचायत समिति सुहागपुरा में किया गया। इस बैठक में ग्राम पंचायत स्तरीय एंव पंचायत समिति स्तरीय हितधारक एवं सेवा प्रदाता ने हिस्सा लिया। कट्स के कार्यक्रम समन्वयक कमलेश जांगिड़ ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य बच्चों से संबंधित मुद्दों पर समितियां बनाना है। इस बैठक के दौरान ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन को प्राथमिकता देते हुए प्रधान भरत पारगी ने पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति का भी पुनर्गठन किया। इसमें सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने बच्चों के संरक्षण के लिए शपथ ली। कट्स के प्रतिनिधि मुकेश सिंघल ने समिति के संरचनात्मक ढांचे को समझाते हुए सभी सदस्यों एंव पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व को बताते हुए समिति के कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। समिति के आमुखीकरण को लेकर संस्था के प्रतिनिधि मुकेश सिंघल ने बच्चों के संरक्षण के महत्व को भी समझाया एवं बच्चों से जुड़े शिक्षा के अधिकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और बाल श्रम निषेध कानून पर विस्तृत चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष भरत पारगी ने समिति के कार्यभार को समझाते हुए सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि बच्चों के मुद्दो पर खुल कर चर्चा हमें अपने घर से ही शुरू करनी होगी। इसके साथ ही अपने आसपास में जो भी जोखिम वाले बच्चो को चयन करे एवं संबंधित पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में उस मुद्दे को लाए एवं चर्चा कर उसके समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर भी उन्हें साझा करे, ताकि हम सब मिलकर बच्चों से जुडी समस्त समस्याओं को जड़ से मिटा सके।

जांगिड ने बताया कि हमें समुदाय स्तर पर बच्चो को समझते हुए उनके अधिकारों को लागू करने में समुदाय स्तर जो समितियां बनी हैं जिसमें पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को सुचारू रूप से सक्रिय करना होगा। इस के लिए हम सब को मिलकर हमारे गांव एवं पंचायत को बाल श्रम मुक्त बनाया जा सके। बैठक में भागीदारी निभाते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी कोशल्या सोलंकी ने बताया कि बच्चों के सुरक्षा सर्वप्रथम घर से ही शुरू होती है। जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। उसी भूमिका में हमें सदैव तत्पर रहना होगा एवं सबको मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक साथ कार्य करना होगा। सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में गायत्री सेवा संस्थान के प्रतिनिधि मिनल जैन ने प्रतिभागियों को बाल श्रम निषेध और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम पर विस्तृत रूप से बताया और ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के पुनर्गठन में भी भूमिका निभाई। पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति के पदेन सचिव खंड विकास अधिकारी रामनारायण कुमावत ने भी समिति के सदस्य से आह्वान किया कि वे प्रत्येक माह में होने वाली बाल संरक्षण समिति की बैठकों में भाग ले। बच्चों से जुड़े हुए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए समस्त सरपंच अपनी पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को क्रियाशील बनाएं।